गया था।

कलेक्टर को बीईओ के निलंबन का अधिकार नहीं

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जगदलपुर में पदस्थ बीईओ मानसिंह भारद्वाज के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि कलेक्टर को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी किया।

दरअसल, मानसिंह भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बताया कि वे 2 जून से 6 जून 2025 तक अपने भतीजे की शादी में शामिल होने मध्यप्रदेश के सिवनी गए थे।उनकी छुट्टी स्वीकृत थी, लेकिन 4 जून को उसे रद्द कर दिया गया और 5 जून को उपस्थिति देने का निर्देश मिला। वे लौटते उससे पहले ही 6 जून को निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि कार्रवाई से पहले न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही कोई व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिला।